राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
593/2017	वनविधरी / सहायक वन संरक्षक	
02.07.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर के समक्ष एक अपील विरूद्ध आदेश द्वारा सहायक वन सरंक्षक जयपुर प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 17.07.2017 को आदेश पारित किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि खसरा नम्बर 413 वन विभाग/रेस्पोडेंट संख्या 2 की तथा खसरा नम्बर 414 अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 413 पर अपीलार्थी का अनाधिकृत कब्जा मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी का कब्जा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 414 पर है तथा उसके द्वारा निर्माण कार्य किया हुआ है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति भू–प्रबन्ध विभाग के सहयोग से सीमांकन करवाये जाने से ही स्पष्ट हो सकती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कथन कर अपील के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग से सीमांकन करवाया जाकर प्रकरण में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त सीमाज्ञान पर आपत्ति कर भू–प्रबन्ध से सीमाज्ञान करवाये जाने तक मौके की स्थिति यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में मुख्य विवाद सीमा संबंधी है जिसका निस्तारण समुचित सीमाज्ञान से ही सम्भव है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील का अन्तिम निस्तारण भी समुचित सीमाज्ञान से ही सम्भव है। मौके पर अपीलार्थी द्वारा बहुमंजिला निर्माण किया हुआ होना रेस्पोडेंट द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्माण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
593/2017	वन बिहारी / सहायक वन संरक्षक	

में है। अपीलार्थी द्वारा काफी मात्रा में धनराशि खर्च कर निर्माण किया गया है तथा उपयोग किया जा रहा है। अतः सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 विधिक त्रुटि के ग्रसित है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके की वर्तमान स्थिति अपील के निस्तारण तक यथावत रखें जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर